राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

R.N.I. No.- RAJ BIL/ 2000/1717
POSTAL REGD. No.-J.P.C./3588/02/03-05
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

श्रावण 10, मंगलवार, शाके 1928--अगस्त 1, 2006.
Sravana 10, Tuesday, Saka 1928--August 1, 2006

भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

पशुपालन विभाग

आदेश

जयपुर, जुलाई 29, 2006

एस. ओ. 161 :--भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 30 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग के आदेश सं. 2 (5) प पा।2003 दिनांक 22-8-2003 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्, :--

संशोधन

उक्त आदेश में अभिव्यक्ति "पशुपालन निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित" और अभिव्यक्ति "पशु चिकित्सा पर्यवेक्षक" के बीच में अभिव्यक्ति "या राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा जारी" अन्तःस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ. 2 (5) एएच।2003]
राज्यपाल के आदेश से,
तपेश पवार,
शासन सचिव।

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

ORDER

Jaipur, July 29, 2006

S. O. 161--In exercise of the powers conferred by proviso to clause (b) of section 30 of the Indian Veterinary Council Act, 1984,

the State Government hereby makes the following amendment in this Department order No. 2(5)AH/2003 Dated 22-8-2003, namely:—

AMENDMENT

In the said order the expression, "or issued by the Rajasthan Agricultural University, Bikaner" shall be inserted between the expressions "counter signed by the Director of Animal Husbandry" and "to render the".

[No. 2(5)AH/2003]

By Order of the Governor,

तपेश पवार,

Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित
RAJBIL/2000/1717
J. P. C./3588/02/2003-05
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority
भाद्र 6, गुरुवार, शाके 1925---अगस्त 28, 2003
Bhadra 6, Wednesday, Saka 1925---August 28, 2003

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

पशुपालन विभाग

आदेश

जयपुर, अगस्त 22, 2003

एस. ओ. 226.- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 30 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान सरकार के पशुपालन निदेशालय द्वारा जारी किये गये या किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा संस्था द्वारा जारी और पशुपालन निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पशु चिकित्सा पर्यवेक्षक, पशुपालन या पशु सहायक (चाहे उसका जो भी नाम हो) का डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र धारण करने वाले पशु चिकित्सा और पशुधन सहायकों को किसी रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षण और निदेशन के अधीन ''लघु पशु चिकित्सा सेवा'' करने की अनुज्ञा इसके द्वारा प्रदान करती है।

[संख्या प. 2 (.5)पपा/2003]

राज्यपाल के आदेश से,

फतेह सिंह चारण,

प्रमुख शासन सचिव।

पशुपालन, मतस्य एवं डेयरी विकास

विभाग राजस्थान, जयपुर।

2

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

ORDER

Jaipur, August 22, 2003

S. O. 22?.—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of section 30 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, the State Governmen[illegible]
the veterinary & livestock assistants, holding a diplo[illegible] or certificate of veterinary supervisor, stockman or stock assistants (by whatever name called) issued by the Directorate of Animal Husbandry of Government of Rajasthan or issued by the recognised veterinary institution and counter signed by the Director of Animal husbandry to render the "minor veterinary services" under the supervision and direction of a registered veterinary practitioner.

[No. 2 (5) AH/2003]

By Order of the Governor,

फतेह सिंह चारण,

Principal Secretary to the Government.

पशु पालन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 22, 2003

एस. ओ. 22?.- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 30 के खण्ड (ख) के परन्तुक के स्पष्टीकरण के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त धारा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रारम्भिक पशु चिकित्सा सहायता को ''लघु पशु-चिकित्सा सेवाओं'' के रूप में इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात:-

1. पशुओं का ताप लेना;
2. प्रारम्भिक पशु-चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना और ज्वर और दर्द की दशा में दर्द निवारक और ज्वरनाशी देना;

3. कृत्रिम गर्भाधान करना;

4. पशुओं को टीका लगाना;

5. घावों की मरहम-पट्टी करना;

6. बधियाकार द्वारा नर पशु को बधिया करना;

7. सैम्पलों का संग्रहण करना;

8. बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए पशुओं पर छिड़काव करना"।

[संख्या प. 2(5)पपा/2003]

राज्यपाल के आदेश से,

फतेह सिंह चारण,

प्रमुख शासन सचिव।

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, August 22, 2003

S. O. 228.—In exercise of the powers conferred under the Explanation of the proviso to clause (b) of section 30 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, the State Government hereby specify the following preliminary veterinary aid as the "minor veterinary services" for the purpose of the said section; namely:—

1. to take temperature of animals;
2. to provide preliminary veterinary aid and give analgesic & antipyretic in case of fever & pain;
3. to Perform the artificial insemination;
4. to vaccinate animal;
5. dressing of wounds;

6. castration of male animal by castrator;
7. collection of samples
8. spray of animals for control of ectoparasites;

[No. 2 (5) AH/2003]

By Order of the Governor,

फतेह सिंह चारण,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.